न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर०ए०एस० अति० संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 255/2024/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 23.10.2024
अन्तर्गत धाराः 76 राज०भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. नन्दकंवरी बाई पुत्री स्व० गोपाल पत्नी श्रवनलाल जाति काछी निवासी ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवासी नयागांव, पुलिस लाईन, तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. हीरा बाई पुत्री स्व० गोपाल पत्नी चतुर्भुज जाति काछी निवासी ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान :-
   2/1. महावीर प्रसाद पुत्र चतुर्भुज जाति काछी
   2/2. गुलाबचंद पुत्र चतुर्भुज जाति काछी
   2/3. चंद्रकला पुत्री श्री चतुर्भुज जाति काछी
   निवासीगण ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाड़पुरा जिला कोटा

.....अपीलांट्स

बनाम

1. गजानंद पुत्र स्व. गोपाल जाति काछी मृतक जरिये का0 मु0 :-
   1/1. भंवरलाल पुत्र स्व० गजानन्द
   1/2. कुंवरलाल पुत्र स्व० गजानन्द
   1/3. तेजपाल पुत्र स्व० गजानन्द
   1/4. अनोख बाई पुत्री स्व० गजानन्द
   1/5. हजारी बाई पुत्री स्व० गजानन्द
   निवासीगण ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा-राज०
2. हेमराज पुत्र स्व० गोपाल जाति काछी
3. बृजमोहन पुत्र स्व० गोपाल जाति काछी
   निवासीगण ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. मनभर बाई पुत्री स्व० गोपाल पत्नी रामरतन जाति काछी निवासी ग्राम खेड़ा रसूलपुर तहसील लाड़पुरा जिला कोटा-राज० हाल निवासी ग्राम सीलोर तहसील व जिला बून्दी-राज०
5. लालचंद पुत्र स्वर्गीय गोविंद लाल जाति काछी
6. चन्द्र प्रकाश पुत्र स्व. गोविंद लाल जाति काछी मृतक जरिये का0 मु0 :-
   6/1. सुनीता पत्नी स्व० चन्द्रप्रकाश
   6/2. राहुल नाबालिग पुत्र स्व० चन्द्रप्रकाश
   6/3. गौरव नाबालिग पुत्र स्व० चन्द्रप्रकाश

9-09-2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

जरिये माता सुनीता पत्नी स्व० चन्द्रप्रकाश निवासीगण ग्राम खेड़ा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा

7. रंजीत पुत्र स्व० गोविन्दलाल जाति काछी
8. हीरालाल पुत्र स्व० गोविन्दलाल जाति काछी
9. जमना बाई पत्नी स्व० गोविन्दलाल जाति काछी
निवासीगण ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा
10. रामलाल पुत्र श्री चतुर्भुज जाति काछी निवासी ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा
11. तहसीलदार लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा–राज०

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री रघुवीर सिंह राठौर, अभिभाषक –अपीलांट
श्री ओम प्रकाश नागर, अभिभाषक– रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 29.09.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा (प्रथम अपीलीय न्यायालय) के प्रकरण संख्या 24/2021 बउनवान नन्दकंवरी बाई बनाम गजानन्द जरिये का0मु0 भंवरलाल वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार लाड़पुरा द्वारा खातेदार गोपाल आत्मज चेनसुख के फोत होने पर उसके विधिक वारिसान के नाम फोती नामांतरकरण संख्या 228 दिनांक 19.10.2001 स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा द्वारा प्रस्तुत अपील 20 वर्ष विलम्ब से पेश की जाने से तथा 20 वर्ष की अवधि को कन्डोन करने के पर्याप्त एवं ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होना वर्णित करते हुए तदनुसार प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय दिनांक 28.08.2024 से खारिज की गई।

2. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 से व्यथित होकर अपीलांट के द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश कर कथन किया गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय हैं। विचारण न्यायालय तहसीलदार लाड़पुरा, जिला कोटा ने अपीलांट्स एवं रेस्पो0 क्र. 1 लगायत 4 के पिता एवं रेस्पो0 संख्या

अति. सं. आयुक्त
कोटा

5 लगायत 9 के दादा एवं ससुर गोपाल पुत्र चैनसुख के खातेदारी में दर्ज ग्राम रसूलपुर तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की आराजी ख०न० 150 रकबा 0.07 है०, ख०नं० 151 रकबा 0.85 है०, ख0नं0 163 रकबा 0.94 है०, खसरा सं0 525 रकबा 0.58 है0, खसरा सं0 526 रकबा 0.64 है0 एवं खसरा सं0 541 रकबा 1.00 है0 कुल 6 किता की 4.08 है० भूमि का नामान्तरकरण संख्या 228 दिनांक 19.10.2001 अवैध एवं गैर कानूनी रूप से रेस्पो० संख्या 1 लगायत 3 एवं रेस्पो० संख्या 5 लगायत 9 के पिता एवं पति स्व० गोविन्दलाल के पक्ष में तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाने में त्रुटि की है। विचारण न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा के द्वारा अपीलांट्स को सूचना दिये बिना तथा उन्हें तलब कर उनका पक्ष सुने बिना ही समुचित रूप से विधिक वारिसान की जांच किये बिना ही उनकी अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से निर्णय पारित किया है। इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया उक्त नामान्तरकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से एवं अपीलांट्स के हितो के विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि अपीलांट्स एवं रेस्पो० संख्या 1 लगायत 4 के पिता व रेस्पो० संख्या 5 लगायत 9 के दादा एवं ससुर गोपाल पुत्र चैनसुख जी के ग्राम रसूलपुर की उक्त आराजी के अतिरिक्त ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में उनके खाते की आराजी ख0नं0 177 रकबा 0.16 है०, ख0नं0 180 रकबा 0.47 है०, ख0नं0 187 रकबा 0.45 है० एवं ख०नं० 190 रकबा 0.66 है० कुल 4 किता की 1.74 है0 आराजी स्थित है, जिसका नामान्तरकरण संख्या 635 विधिपूर्वक अपीलांट्स एवं रेस्पो० संख्या 1 लगायत 9 के पक्ष में तस्दीक हुआ है, जिसमें अपीलांट्स मृतक गोपाल पुत्र चैनसुख के स्थान पर बतौर विधिक वारिसान के रूप में दर्ज रेकॉर्ड है। जिससे इस तथ्य की पुष्टि पूर्णतया प्रमाणित है कि अपीलांट्स मृतक गोपाल के विधिक वारिसान है। इसके बावजूद भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना ही हुक्म जैर अपील आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलांट्स द्वारा देरी से अपील प्रस्तुत करने का समुचित कारण दर्शाते हुये अपील प्रस्तुत की थी। अपीलांट्स को विचारण न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा–राज० के उक्त इन्तकाल की कोई जानकारी नहीं थी। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05.04.2021 को पटवारी हल्का से मिलने पर उसके द्वारा बताने पर हुई। इस पर अपीलांट्स ने उक्त इन्तकाल की नकल दिनांक 08.06.2021 को प्राप्त करके अपील प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकार जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद माननीय अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा के यहां प्रस्तुत की थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय

09-2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

द्वारा उपरोक्त प्रकार हुई देरी को समुचित कारण नहीं मानते हुये अपीलांट्स की अपील खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। इस कारण माननीय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को मृतक गोपाल पुत्र चैनसिंह का विधिक वारिस माना है। किन्तु उक्त अपील को केवल मियाद के बिन्दु पर खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है, जबकि कानूनन प्रभावी पक्षकार को बगैर सुने पारित किया गया आदेश अवैध है और उसे किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में महज मियाद के बिन्दु पर जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, वह पूर्णतया विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील एवं नामान्तरकरण संख्या 228 दिनांक 19.10.2001 ग्राम रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलांट्स के पिता मृतक गोपाल की उपरोक्त वर्णित आराजी उत्तराधिकार के आधार पर अपीलांट्स के नाम नामान्तरकरण दर्ज फरमाये जाने के निर्देश के साथ प्रकरण विचारण न्यायालय तहसीलदार लाड़पुरा कोटा को प्रतिप्रेषित फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि मूल खातेदार गोपाल पुत्र चेनसुख के 4 पुत्र एवं 3 पुत्रियां थे। अपीलांट्स एवं रेस्पो0 क्र. 1 लगायत 4 के पिता एवं रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 9 के दादा एवं ससुर गोपाल पुत्र चैनसुख के खातेदारी में दर्ज ग्राम रसूलपुर तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की आराजी ग्राम रसूलपुर तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की आराजी ख०न० 150 रकबा 0.07 है०, ख०नं० 151 रकबा 0.85 है०, ख0नं0 163 रकबा 0.94 है०, खसरा सं0 525 रकबा 0.58 है0, खसरा सं0 526 रकबा 0.64 है0 एवं खसरा सं0 541 रकबा 1.00 है0 कुल 6 किता की 4.08 है० भूमि का नामान्तरकरण संख्या 228 दिनांक 19.10.2001 अवैध एवं गैर कानूनी रूप से रेस्पो० संख्या 1 लगायत 3 एवं रेस्पो० संख्या 5 लगायत 9 के पिता एवं पति स्व० गोविन्दलाल के पक्ष में तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है। विचारण न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा के द्वारा अपीलांट्स को सूचना दिये बिना तथा उन्हें तलब कर उनका पक्ष सुने बिना ही समुचित रूप से विधिक वारिसान की जांच किये बिना ही उनकी अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से वादग्रस्त

नामांतरकरण दिनांक 19.10.2001 को खोला गया। अपीलांट्स एवं रेस्पो० संख्या 1 लगायत 4 के पिता व रेस्पो० संख्या 5 लगायत 9 के दादा एवं ससुर गोपाल पुत्र चैनसुख जी के ग्राम खेडा की उक्त आराजी के अतिरिक्त ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में उनके खाते की आराजी ख0नं0 177 रकबा 0.16 है०, ख0नं0 180 रकबा 0.47 है०, ख0नं0 187 रकबा 0.45 है० एवं ख०नं० 190 रकबा 0.66 है० कुल 4 किता की 1.74 है0 आराजी स्थित है, जिसका नामान्तरकरण संख्या 635 विधिपूर्वक अपीलांट्स एवं रेस्पो० संख्या 1 लगायत 9 के पक्ष में तस्दीक हुआ है, जिसमें अपीलांट्स मृतक गोपाल पुत्र चैनसुख के स्थान पर बतौर विधिक वारिसान के रूप में दर्ज रेकॉर्ड है। किंतु ग्राम रसूलपुर एवं अन्य 2 गावों में मूल खातेदारी की स्थित आराजी में से अपीलांट का नाम छोड़ दिया गया। इसके बावजूद भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। जबकि अपीलांट्स को विचारण न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा–राज० के उक्त इन्तकाल की कोई जानकारी नहीं थी। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05. 04.2021 को पटवारी हल्का से मिलने पर उसके द्वारा बताने पर हुई। मूल खातेदार की ग्राम भीमपुरा में स्थित आराजी का नामांतरकरण वर्ष 2010 में खोला गया। प्रस्तुत अपील प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। यहां यह उल्लेख किया जाना भी उचित होगा कि प्रकरण में मियाद का बिन्दु तो तब लागू होता जब नामांतरकरण खोलते समय विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलांट को सुनवाई और पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया होता। इस प्रकार केवल मियाद के आधार पर न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस पर अपीलांट्स ने उक्त इन्तकाल की नकल दिनांक 08.06.2021 को प्राप्त करके अपील प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकार जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद माननीय अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा के यहां प्रस्तुत की थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकार हुई देरी को समुचित कारण नहीं मानते हुये अपीलांट्स की अपील खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। इस कारण माननीय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 के द्वारा दौराने बहस वादग्रस्त आराजी के संबंध में नियमित वाद विचाराधीन होना बताया गया है, जबकि पक्षकारान के मध्य कोई नियमित वाद जैरकार नहीं है। रेस्पो0 अधिवक्ता के द्वारा भी वाद दायर होने से इंकार किया गया हैं। रेस्पो0 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया था कि ग्राम भीमपुरा की आराजी मूल खातेदार की लड़कियों के द्वारा बेचान कर दिया गया। जबकि उक्त बेचान के संबंध में कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी हेतु विरासत के फौती

अति० सं० कोटा

नामांतरकरण से व्यथित है। ऐसी स्थिति में विरासत के नामांतरकरण में ही यह तय होना हैं। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील एवं नामान्तरकरण संख्या 228 दिनांक 19.10.2001 ग्राम रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलांट्स के पिता मृतक गोपाल की उपरोक्त वर्णित आराजी उत्तराधिकार के आधार पर अपीलांट्स के नाम नामान्तरकरण दर्ज फरमाये जाने के निर्देश के साथ प्रकरण विचारण न्यायालय तहसीलदार लाड़पुरा कोटा को प्रतिप्रेषित फरमाया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2002(1) Page No. 257, RRT 2024(2) Page No. 1240, RRT 2018 (1) Page No. 186, RRD 1994 Page No. 606, RRD 1992 Page No. 17, RRD 1992 Page No. 117, RRT 2012(2) Page No. 850, RRT 2013(2) Page No. 766, RRT 2024(1) Page No. 179** पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि मूल खातेदार गोपाल के पिता चेनसुख थे। चेनसुख के फौत होने पर गोपाल एवं चारों पुत्रों के नाम नामांतरकरण खोला गया। ग्राम भीमपुरा की आराजी में बहनों का भी नाम आया था। किंतु भाईयों ने उक्त आराजी में से अपना हिस्सा विक्रय कर रूपये अपनी बहनों को दिया था। अतः उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में बहनों का कोई अधिकार शेष नहीं रह जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित हैं। प्रश्नगत नामांतरकरण 20 वर्ष पुराना है। उक्त आराजी की जानकारी बहनों को प्रारम्भ से ही रही है। ऐसी स्थिति में बहनों को अपना हक चाहने हेतु नियमित वाद पेश किया जाना आवश्यक है एवं नियमित वाद के जरिये ही अधिकार मिलना संभव है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

6. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि तहसीलदार लाड़पुरा द्वारा खातेदार गोपाल आत्मज चेनसुख के फोत होने पर उसके विधिक वारिसान के नाम फोती नामांतरकरण संख्या 228 दिनांक 19.10.2001 स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा द्वारा प्रस्तुत अपील 20 वर्ष विलम्ब से पेश की जाने से तथा 20 वर्ष की अवधि को कन्डोन करने के पर्याप्त एवं ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होना वर्णित करते हुए तदनुसार प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय दिनांक 28.08.2024 से खारिज की गई। प्रस्तुत अपील में अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि मूल खातेदार की आराजी के संबंध में खोले गये फोती इंतकाल में अपीलांट का नाम

प्रति. स. आयुक्त कोटा

दर्ज नहीं किया गया। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा भी प्रकरण को गुणावगुण पर सुने बिना मियाद के बिन्दु पर खारिज करने में त्रुटि की है। जबकि ग्राम भीमपुरा की आराजी का खोला गया नामांतरकरण संख्या 635 में भाईयों के साथ–साथ बहनों का भी नाम आया था। प्रश्नगत आराजी की नामांतरकरण खोले जाने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इसके विपरित रेस्पो० का तर्क रहा है कि चेनसुख के फौत होने पर गोपाल एवं चारों पुत्रों के नाम नामांतरकरण खोला गया। ग्राम भीमपुरा की आराजी में बहनों का भी नाम आया था। किंतु भाईयों ने उक्त आराजी में से अपना हिस्सा विक्रय कर रूपये अपनी बहनों को दिया था। वादग्रस्त आराजी में बहनों का कोई अधिकार शेष नहीं रह जाता है। वादग्रस्त नामांतरकरण 20 वर्ष पुराना है। उक्त आराजी की जानकारी बहनों को प्रारम्भ से ही रही है।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष नियमित वाद दायर होने का कथन त्रुटिपूर्ण है। रेस्पो० द्वारा भी नियमित वाद जेरकार होने से इन्कार किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक उद्वरण RRT 2002 (1) Page No.257 जो निम्नानुसार प्रतिपादित हैं :–

Shiobai & Ors. vs Simbhu & Ors.
Revision No. 61/Alwar of 2000; decided on 13th December, 2001

Rajasthan Land Revenue Act, 1956-Sec. 135- Mannu who was recorded khatedar- After his death mutation was attested in favour of his two sons when his other legal heirs daughter and widow are alive- No notice was given to them before attestation mutation- The Additional Commissioner dismissed appeal on the point of limitation- It was held that if mutation was attested without hearing all the heirs of deceased Mannu, such order is void abinitio and it can be set aside at any time and question of limitation does not arise- It was further held that if any order is passed without notice to effected party, limitation will start from date of knowledge as held in 1994 R.R.D. 606- Hence revision was accepted and the order of Additional Commissioner Jaipur dated 29-06-2000 was set aside and remand order of S.D.O. Kishangarhbas is maintained.
Revision accepted.

प्रस्तुत प्रकरण में पुत्रियों को पिता की संपत्ति में हक मिलने का प्रश्न निहित हैं। चूंकि अपीलांट को वक्त नामांतरकरण सूचना नहीं दी गयीं। ऐसी स्थिति में मियाद की बिन्दु

अति. सं. कोटा 29-9-2025

लागू नहीं होता है। प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण चस्पा होते हैं। प्रश्नगत प्रकरण में ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर सुने बिना ही मियाद की बिन्दु पर ही अपील अस्वीकार किये जाने को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। सारवान प्रश्न गुणावगुण पर निर्णित किये जाने चाहिए। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा के प्रकरण संख्या 24/2021 बउनवान नन्दकंवरी बाई बनाम गजानन्द जरिये का0मु0 भंवरलाल वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 एवं प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 228 दिनांक 19.10.2001 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार लाड़पुरा को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर 6 माह में पुनः तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाड़पुरा के समक्ष दिनांक 11.11. 2025 को उपस्थित हो।

8. निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

29-09-2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा